कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ

संख्या – 520 /आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2018–19/मेरठ/दिनांक :जुलाई 10 ,2018

–: विज्ञप्ति :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्रांक–38339–413/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2018–19 दिनांकःइलाहाबादः फरवरी, 03 , 2018 के कम मे पंचम चरण के पश्चात् व्यवस्थापन हेतु शेष देशी शराब की 17 एवं बियर की 01 फुटकर दुकान का व्यवस्थापन दैनिक आधार पर दिनाक 21 जुलाई 2018 से 14 दिवसों तक आगणित देयताओं पर आफर प्राप्त कर किया जायेगा। देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एंव लाइसेंस फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेन्स फीस एंव लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जायेगा तथा विदेशी मदिरा, बीयर एंव माडल शाप्स हेतु दुकान की दैनिक लाइसेंस फीस उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जायेगा। दैनिक व्यवस्थापन वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर 14 दिवसों हेतु आगणित बेसिक/लाइसेंस फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जायेगा। दैनिक आधार पर आवंटित मदिरा दुकानों का संचालन 14 दिवस अथवा सम्बन्धित मदिरा दुकान का नियमित व्यवस्थापन होने तक, जो पहले के लिये किया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय एक प्रार्थना पत्र, आफर के प्रारूप में देशी मदिरा हेतु दिये गये आफर में अंकित एम0जी0क्यू0 का 2.8 गुणा धनराशि एवं विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों हेतु दिये गये आफर में अंकित लाइसेंस फीस का 1/10 भाग की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के नाम देय होगा, संलग्न करेगा। आवेदक प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति एंव एक फोटोग्राफ भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक आवेदक दिनांक 20.07.2018 को अपरान्ह 02 बजे तक उपरोक्तानुसार अपने आफर सील बन्द लिफाफे में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ में प्राप्त करा सकते है। प्राप्त आफरों को दिनांक 20.07.2018 को सायं 04:00 बजे बचत भवन सभागार, कलक्ट्रेट परिसर, मेरठ में खोला जायेगा। **दैनिक आधार पर संचालित करायी जाने वाली मदिरा दुकानों की सूची कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है। इच्छुक आवेदक मदिरा दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु निम्न दूरभाष नं0 पर सम्पर्क कर सकता है:– 9454466381, 9454466382, 9454466383, 9454466384, 9454466385 एवं 9454466398**

17.7.2018

(चन्द्रशेखर)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

18/7/18

(अनिल ढींगरा)
जिलाधिकारी,
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–

1– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

3– सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण", अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों पर आगामी अंक में कराकर, बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– नाजिर सदर, कलक्ट्रेट, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि को बचत भवन सभागार में आवश्यक प्रबन्ध कराने का कष्ट करें।

(चन्द्रशेखर)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।